

**सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास पर उद्यमशीलता के प्रभाव का अध्ययन: रीवा
जिले के विशेष संदर्भ में**

शिवांगी सिंह बघेल

शोधार्थी

डॉ. आशीष पचौरी

पर्यवेक्षक (वाणिज्य विभाग)

श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

शोध सार

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढीकरण एवं समावेशी विकास में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुआयामी रही है। ये उद्योग न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आय संवर्धन तथा स्थानीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। विकासशील भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग ग्रामीण भारत की आर्थिक रीढ़ के रूप में कार्य कर रहे हैं। वर्तमान समय में भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा उद्यमिता संवर्धन पहलों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण स्तर पर नवीन उद्यमों की स्थापना एवं आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हो रहा है।

ग्रामीण उद्यमशीलता के विकास से स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि, कौशल विकास, गरीबी उन्मूलन तथा क्षेत्रीय असंतुलन में कमी लाने की संभावनाएँ सुदृढ़ हुई हैं। साथ ही, यह प्रक्रिया ग्रामीण जनसंख्या को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा सतत् विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहायक सिद्ध हो रही है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में उद्यमशीलता की भूमिका का अन्वेषणात्मक अध्ययन करना है।

अध्ययन के अंतर्गत उद्यमशीलता के विभिन्न आयामों, उसके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों, रोजगार सृजन में उसकी भूमिका, ग्रामीण आर्थिक विकास पर उसके प्रभाव तथा उद्यमिता संवर्धन हेतु संचालित नीतियों एवं कार्यक्रमों का विश्लेषण किया गया है। यह शोध ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की प्रभावशीलता तथा उद्यमशीलता के योगदान को समझने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है

कुंजी शब्द

उद्यमशीलता, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग, उद्यम, अर्थव्यवस्था, विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भारत।

शोध विस्तार

लघु उद्यम विकास एवं उद्यमशीलता का आर्थिक परिप्रेक्ष्य लघु उद्यम विकास कार्यक्रम आर्थिक विकास, रोजगार सृजन तथा सामाजिक सशक्तीकरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्र को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार माना जाता है, जो उत्पादन, रोजगार एवं निर्यात संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान प्रदान करता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने तथा नवोदित उद्यमियों को आवश्यक वित्तीय, तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। एम.एस.एम.ई. अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में निवेश आधारित उद्यमों को प्रोत्साहित कर आर्थिक गतिविधियों के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्यम विकास विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन का प्रभावी माध्यम सिद्ध हुआ है। यह ग्रामीण महिलाओं सहित समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वरोजगार एवं आय-सृजन के अवसर उपलब्ध कराता है, जिससे उनके जीवन-स्तर में सुधार तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है। लघु उद्यम सामान्यतः कम पूंजी निवेश, सीमित जोखिम तथा क्रमिक विकास की विशेषताओं पर आधारित होते हैं, जिसके कारण ये नवोदित उद्यमियों के लिए उद्यम स्थापना का एक व्यवहारिक विकल्प प्रस्तुत करते हैं।

ग्रामीण महिला उद्यमियों के संदर्भ में लघु उद्यम विकास का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह उन्हें आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी हेतु अवसर प्रदान करता है। आय अर्जन एवं स्वरोजगार के माध्यम से महिलाएं न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करती हैं, बल्कि परिवार एवं समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। यद्यपि कुछ उद्यम समय के साथ विकसित होकर मध्यम अथवा बड़े उद्यमों का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं, तथापि अधिकांश ग्रामीण महिला उद्यमों का संचालन सीमित संसाधनों एवं स्थानीय बाजारों पर आधारित होने के कारण लघु स्तर पर ही बना रहता है। लघु उद्यमों की सफलता एवं स्थायित्व में तकनीकी दक्षता, कौशल विकास तथा उद्यमशीलता प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी उद्यम की स्थापना एवं संचालन के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान, प्रबंधकीय क्षमता तथा बाजार संबंधी जानकारी अनिवार्य होती है। विशेष रूप से ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन उद्यम स्थापना की पूर्वापेक्षा के रूप में कार्य करता है। तथापि, वर्तमान परिदृश्य में उद्यमशीलता प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन तथा ऋण सुविधाओं की उपलब्धता अभी भी सीमित है, जिसके कारण अनेक संभावित उद्यमी अपनी व्यावसायिक क्षमताओं का पूर्ण विकास नहीं कर पाते हैं।

अतः यह कहा जा सकता है कि लघु उद्यम विकास आर्थिक सशक्तीकरण, गरीबी उन्मूलन एवं समावेशी विकास का एक प्रभावी साधन है। यदि वित्तीय सहायता, कौशल विकास, तकनीकी प्रशिक्षण तथा संस्थागत समर्थन को और अधिक सुदृढ़ किया जाए, तो लघु उद्यम क्षेत्र ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तीकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति में और अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकता है।

अध्ययन की आवश्यकता

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्र का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आय वृद्धि, स्थानीय संसाधनों के उपयोग तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का

प्रभावी माध्यम है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ एवं गतिशील बनाने में इन उद्यमों की भूमिका निरंतर बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आर्थिक विकास को भी नई दिशा प्राप्त हो रही है। तथापि, इस क्षेत्र के सतत विकास एवं प्रतिस्पर्धात्मक सुदृढीकरण के लिए कुशल, प्रशिक्षित एवं नवाचारोन्मुख उद्यमियों की आवश्यकता स्पष्ट रूप से अनुभव की जा रही है। विशेष रूप से ग्रामीण महिला उद्यमियों की भूमिका इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे गृह उद्योगों, खादी एवं ग्रामोद्योगों, हस्तशिल्प आधारित गतिविधियों तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं। महिला उद्यमिता न केवल आर्थिक विकास का साधन है, बल्कि यह सामाजिक सशक्तीकरण, लैंगिक समानता तथा समावेशी विकास की अवधारणा को भी सुदृढ़ करती है। इसके बावजूद ग्रामीण महिला उद्यमियों को वित्तीय संसाधनों की कमी, तकनीकी ज्ञान का अभाव, विपणन संबंधी चुनौतियाँ, प्रशिक्षण सुविधाओं की सीमित उपलब्धता तथा संस्थागत सहयोग की अपर्याप्तता जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनकी उद्यमशील क्षमता का समुचित विकास नहीं हो पाता। इन चुनौतियों के परिणामस्वरूप अनेक सूक्ष्म एवं लघु उद्यम अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाते तथा कई बार आर्थिक एवं प्रबंधकीय कठिनाइयों के कारण निष्क्रिय अथवा असफल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में गृह उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, स्वयं सहायता समूह आधारित उद्यम तथा अन्य ग्रामीण लघु उद्योगों के सुदृढीकरण हेतु महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन, प्रशिक्षण एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता इस तथ्य में निहित है कि ग्रामीण महिला उद्यमियों की भूमिका, उनके समक्ष विद्यमान चुनौतियों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास में उनके योगदान का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित विश्लेषण किया जा सके। यह अध्ययन महिला उद्यमिता के संवर्धन, ग्रामीण औद्योगिक विकास तथा आर्थिक सशक्तीकरण से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को समझने में सहायक होगा तथा भविष्य में इस क्षेत्र के विकास हेतु उपयोगी सुझाव प्रदान कर सकेगा।

अध्ययन के उद्देश्य

1. सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास के उभरते आयामों एवं प्रवृत्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
2. सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में उद्यमशीलता के स्वरूप, विशेषताओं एवं विकास की स्थिति का अन्वेषणात्मक अध्ययन करना।
3. रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास की संभावनाओं एवं अवसरों का अध्ययन करना।
4. रीवा जिले में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के संवर्धन एवं विकास में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों की भूमिका का मूल्यांकन करना।
5. सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास में उद्यमियों के समक्ष आने वाली प्रमुख समस्याओं एवं चुनौतियों का अध्ययन कर उनके समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध प्रविधि

यह शोध लेख सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में उद्यमशीलता के विकास एवं संभावनाओं का एक अन्वेषणात्मक अध्ययन करना है। इस शोध पत्र में रीवा जिले के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थिति एवं उद्यमशीलता के सम्बन्ध में एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

आंकड़ा संकलन

इस शोध लेख में विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का संकलन द्वितीयक विधि द्वारा किया गया है जिसमें भिन्न-भिन्न विभागों एवं संस्थानों की रिपोर्ट (सरकारी दस्तावेज, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं और शोध लेख) एवं शोध पत्र-पत्रिकाएं तथा इंटरनेट का प्रयोग किया गया है।

मध्य प्रदेश उद्योग संचालनालय एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों की भूमिका

भारत जैसे विशाल एवं विविधतापूर्ण देश में संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं कुटीर उद्योगों के साथ-साथ ग्रामोद्योगों का विशेष महत्व है। ये उद्योग न केवल रोजगार सृजन एवं आय संवर्धन में योगदान देते हैं, बल्कि क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने

तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1978 में औद्योगिक विकास की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों के उद्योग निदेशालयों के अधीन जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की। वर्तमान में मध्य प्रदेश में इन संस्थाओं का संचालन मुख्यतः मध्य प्रदेश उद्योग संचालनालय तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों (District Trade and Industry Centres - DTICs) के माध्यम से किया जाता है। मध्य प्रदेश उद्योग संचालनालय राज्य में औद्योगिक विकास से संबंधित नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रमुख संस्था है। यह संचालनालय औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने, उद्यमिता विकास, रोजगार सृजन तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संवर्धन हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन करता है। इसके अतिरिक्त, उद्योग स्थापना के लिए आवश्यक मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण तथा वित्तीय संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है।

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र राज्य की औद्योगिक विकास व्यवस्था की जिला स्तरीय इकाई के रूप में कार्य करते हैं। इन केन्द्रों का प्रमुख उद्देश्य विशेष रूप से पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना तथा स्थानीय संसाधनों एवं मानव शक्ति के प्रभावी उपयोग के माध्यम से रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। ये केन्द्र संभावित उद्यमियों को परियोजना चयन, पंजीयन, प्रशिक्षण, ऋण स्वीकृति, अनुदान प्राप्ति तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। साथ ही, यह जिला स्तर पर विभिन्न विभागों, वित्तीय संस्थाओं एवं विकास एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित करने वाली नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करते हैं।

तहसील स्तर पर नियुक्त अधिकारी एवं सहायक प्रबंधक उद्योग संबंधी योजनाओं को स्थानीय स्तर तक पहुँचाने तथा उद्यमियों की समस्याओं के समाधान में सहयोग प्रदान करते हैं। इस प्रकार, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, उद्योग संचालनालय के क्षेत्रीय विस्तार के रूप में

कार्य करते हुए राज्य के औद्योगिक विकास, उद्यमिता संवर्धन तथा ग्रामीण आर्थिक सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं।

अतः यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश उद्योग संचालनालय एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास, रोजगार सृजन, उद्यमिता प्रोत्साहन तथा क्षेत्रीय औद्योगिक संतुलन स्थापित करने के महत्वपूर्ण साधन हैं। इनके माध्यम से ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को गति प्रदान कर समावेशी एवं सतत् आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की भूमिका

भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्र के विकास, वित्तीय सुदृढीकरण एवं उद्यमशीलता संवर्धन में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (Small Industries Development Bank of India) की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी स्थापना वर्ष 1990 में देश में लघु उद्योगों के प्रोत्साहन, वित्तपोषण, विकास तथा उनसे संबंधित वित्तीय एवं विकासात्मक संस्थाओं के कार्यों के समन्वय हेतु एक शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन तथा उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। विशेष रूप से यह देशभर में कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, राज्य औद्योगिक निवेश निगमों तथा सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त (Refinance) सुविधा प्रदान करता है, जिससे ये संस्थाएँ सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ऋण उपलब्ध करा सकें। इस प्रकार SIDBI विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से लघु उद्योग क्षेत्र के वित्तीय प्रवाह को सुदृढ बनाने का कार्य करता है।

पुनर्वित्त सहायता योजनाएँ

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विकास हेतु विभिन्न पुनर्वित्त योजनाएँ संचालित की जाती रही हैं, जिनका उद्देश्य उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना है।

1. लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के लिए पुनर्वित्त योजना

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण एवं लघु उद्योग इकाइयों को ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराकर उनकी स्थापना एवं विकास को प्रोत्साहित करना है।

(क) सम्मिश्र (Composite) ऋण योजना

इस योजना के अंतर्गत शिल्पकारों, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों तथा लघु उद्योग इकाइयों को मशीनरी, उपकरण, कार्यशील पूंजी एवं अन्य आवश्यक व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार की वित्तीय सहायता नवोदित उद्यमियों को उद्यम स्थापना एवं संचालन के लिए आवश्यक आधार प्रदान करती है। योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि इसमें उद्यमी के अंशदान (Promoter's Contribution) की अनिवार्यता न्यूनतम अथवा शून्य रखी गई, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी उद्यम स्थापना के लिए प्रेरित हो सकें।

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग उद्यमियों हेतु योजना

सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के उद्यमिता विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की गई। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दिव्यांग उद्यमियों को मशीनरी, उपकरण एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रियायती ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

2. विशेष पुनर्वित्त योजनाएँ

लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता एवं तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहित करने के लिए SIDBI द्वारा विशेष पुनर्वित्त योजनाएँ संचालित की गई हैं। इनके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है—

1. गुणवत्ता नियंत्रण एवं गुणवत्ता आश्वासन संबंधी सुविधाओं की स्थापना।
2. विद्युत आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु जनरेटर सेट की स्थापना।
3. पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन हेतु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना।
4. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कम्प्यूटर एवं डिजिटल उपकरणों की खरीद।
5. आयात प्रतिस्थापन एवं स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने वाली परियोजनाएँ।
6. ऊर्जा संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों तथा ऊर्जा दक्ष तकनीकों की स्थापना एवं विकास।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के वित्तीय सशक्तीकरण की प्रमुख संस्था के रूप में कार्य करता है। पुनर्वित्त सुविधाओं, विशेष वित्तीय योजनाओं तथा उद्यमिता संवर्धन कार्यक्रमों के माध्यम से यह संस्था न केवल औद्योगिक विकास को गति प्रदान करती है, बल्कि रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास, तकनीकी उन्नयन तथा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के आर्थिक सशक्तीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रकार SIDBI भारतीय एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के सतत् एवं समावेशी विकास का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है।

महिला उद्यमिता संवर्धन योजनाएँ एवं मध्य प्रदेश वित्तीय निगम की भूमिका

महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें स्वरोजगार एवं औद्योगिक गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से विभिन्न वित्तीय एवं विकासात्मक योजनाएँ संचालित की जाती हैं। महिला उद्यम निधि योजना के अंतर्गत उन महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो परियोजना में आवश्यक अंशपूंजी निवेश करने में सक्षम नहीं होती हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु प्रारम्भिक वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना तथा उनकी उद्यमशीलता क्षमता को सुदृढ़ बनाना है। इस प्रकार महिला उद्यमिता सहायता योजना के माध्यम

से लघु उद्योग स्थापित करने की इच्छुक महिलाओं को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, तकनीकी परामर्श तथा उद्यम विस्तार संबंधी सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना महिला उद्यमियों के कौशल विकास एवं व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होती है।

मध्य प्रदेश वित्तीय निगम राज्य में औद्योगिक विकास एवं उद्यमिता संवर्धन हेतु एक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है। निगम द्वारा लघु एवं मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाइयों को भूमि, भवन, मशीनरी, संयंत्र स्थापना, तकनीकी परामर्श तथा अन्य स्थायी परिसंपत्तियों के विकास हेतु दीर्घकालिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए अंतरिम (Bridging) ऋण तथा अन्य वित्तीय सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजनाएँ एवं मध्य प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन तथा आर्थिक सशक्तीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

1. ब्रिजिंग ऋण योजना - औद्योगिक परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत ऋण के विरुद्ध अंतरिम (ब्रिजिंग) वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
2. आधुनिकीकरण योजना - स्थापित औद्योगिक इकाइयों को उत्पादन क्षमता में वृद्धि, उत्पादन लागत में कमी तथा तकनीकी उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
3. छोटे उद्यमियों हेतु एकल बिन्दु योजना - लघु उद्यमों को स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण एवं विस्तार के लिए सावधि ऋण प्रदान किया जाता है।
4. ग्रामीण एवं कुटीर इकाइयों हेतु कम्पोजिट ऋण योजना - ग्रामीण, कुटीर एवं लघु इकाइयों को स्थायी परिसंपत्तियों एवं कार्यशील पूंजी दोनों के लिए समेकित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

5. भूतपूर्व सैनिक एवं महिला उद्यमी सहायता योजना - भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन स्वरूप सावधि ऋण के साथ बीज पूंजी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
6. व्यावसायिक सहायता योजना - डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, कॉस्ट अकाउंटेंट आदि पेशवरों को स्वरोजगार एवं व्यवसाय स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
7. लघु उद्योग उत्पाद विपणन सहायता योजना - ग्रामीण, कुटीर एवं लघु उद्योगों के उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने हेतु नए शोरूम एवं विक्रय केन्द्रों की स्थापना, विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

दीर्घकालीन ऋण स्रोत (स्थायी पूंजी)

औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन ऋणों का उपयोग मुख्यतः भूमि, भवन, मशीनरी तथा अन्य स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण एवं क्रय हेतु किया जाता है। दीर्घकालीन वित्तीय सहायता के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं—

(अ) राज्य सरकार - राज्य सरकार उद्योग विभाग के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उद्यमों की स्थापना एवं विस्तार को प्रोत्साहन मिलता है।

(ब) राज्य वित्त निगम - राज्य वित्त निगम मुख्यतः गैर-सहभागी औद्योगिक इकाइयों को स्थायी एवं अचल परिसंपत्तियों के विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराता है। आवश्यकता पड़ने पर ऋण की कुछ राशि कार्यशील पूंजी के रूप में भी उपयोग की जा सकती है।

(स) राज्य लघु उद्योग निगम - यह निगम लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ तकनीकी सहयोग, विपणन सुविधाएँ, सरकारी क्रय आदेशों में भागीदारी तथा मशीनरी एवं उपकरणों की उपलब्धता जैसी विविध सहायक सेवाएँ प्रदान करता है, जिससे लघु उद्योगों के विकास को गति मिलती है।

लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बिना संपार्श्विक प्रतिभूति (Collateral Security) एवं तृतीय पक्ष गारंटी के संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लघु उद्योग ऋण गारंटी निधि योजना प्रारम्भ की गई। यह योजना 1 अगस्त 2000 से प्रभावी हुई जिसके अंतर्गत पात्र उद्यमियों को ऋणदाता संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए ऋणों पर गारंटी कवरेज उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नवोदित एवं संसाधन-विहीन उद्यमियों के लिए ऋण प्राप्ति को सरल बनाना तथा उद्यमिता विकास को प्रोत्साहित करना है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) की शुरुआत वर्ष 2008 में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता एवं मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम उद्यमिता विकास, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों के सृजन तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहल है। वर्तमान में PMEGP सूक्ष्म उद्यमों के संवर्धन हेतु केंद्र सरकार की प्रमुख एवं प्रभावी योजनाओं में से एक मानी जाती है।

आपके शोध-पत्र के लिए "निष्कर्ष एवं सुझाव" को अधिक शोधात्मक, संतुलित एवं अकादमिक भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उद्योग रोजगार सृजन, आय वृद्धि, स्थानीय संसाधनों के उपयोग तथा उद्यमिता विकास के प्रभावी माध्यम हैं। यद्यपि केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के संवर्धन हेतु विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, तथापि उद्यमियों में तकनीकी दक्षता, प्रबंधकीय क्षमता,

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा बाजार संबंधी जानकारी के अभाव के कारण इन योजनाओं का अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास की पर्याप्त संभावनाएँ विद्यमान हैं, किन्तु वित्तीय कठिनाइयों, तकनीकी पिछड़ेपन, विपणन संबंधी समस्याओं, प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी तथा संस्थागत सहयोग के अभाव के कारण इन उद्योगों का विकास अपेक्षित गति से नहीं हो पा रहा है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित गृह उद्योग, कुटीर उद्योग तथा महिला-आधारित उद्यम अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

अतः सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रभावी विकास हेतु उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए। वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण प्राप्ति की प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाया जाना आवश्यक है। आधुनिक तकनीकों के उपयोग, कौशल विकास, विपणन सुविधाओं के विस्तार तथा डिजिटल प्लेटफॉर्मों से जुड़ाव को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही, महिला उद्यमियों एवं ग्रामीण उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इन उपायों के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को सुदृढ़ बनाकर रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. गुप्ता, संजय, एवं राणा, बिरजू. (2020). उद्यमिता (Entrepreneurship) आगरा: एस.बी.पी.डी. पब्लिकेशन्स।
2. राष्ट्रीय औद्योगिक अनुसंधान संस्थान (NIIR) (2002). लघु एवं कुटीर उद्योग. नई दिल्ली: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च।
3. एन.आई.आई.आर. बोर्ड. (वर्ष अनुपलब्ध). लघु एवं गृह उद्योग (स्वरोजगार परियोजनाएँ). नई दिल्ली: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च।

4. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (2025). वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25 नई दिल्ली: भारत सरकार।
5. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय. (2024) वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24. नई दिल्ली: भारत सरकार।
6. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) (2024). एम.एस.एम.ई. क्षेत्र : प्रगति एवं चुनौतियाँ लखनऊ: सिडबी।
7. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI). (2024). एम.एस.एम.ई. आउटलुक सर्वे रिपोर्ट. लखनऊ: सिडबी।
8. उत्तर प्रदेश सरकार, एम.एस.एम.ई. एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग (2025) उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थिति एवं विकास प्रतिवेदन लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन।
9. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग. (2023). प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) दिशा-निर्देश मुंबई: भारत सरकार।
10. शर्मा, बी. डी. (2024). लघु व्यवसाय प्रबंधन एवं उद्यमिता. नई दिल्ली: डीडी बुक्स।